

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प. 12(6)साप्र/2/2023

जयपुर, दिनांक:

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के 03 जिलों (भीलवाड़ा, जयपुर व टोंक) की 04 नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह अगस्त-सितम्बर, 2025 में करवाये जा रहें हैं (प्रति संलग्न)। उक्त नगरीय निकायों में मतदान दिनांक 03.09.2025 (बुधवार) को होगा। अतः मतदान दिवस दिनांक 03.09.2025 (बुधवार) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)

वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2025/3038

दिनांक:- 01/09/2025

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) भीलवाड़ा, जयपुर एवं टोंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अम्बा लाल मीणा)
उपसचिव